आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

हकसफा अपील वाद सं0 – 4 / 2012

मुन्नी देवी व शंभू साह – अपीलार्थी

वनाम

रामशरण सिंह वो गुरूदेव सिंह – उत्तरवादी

आदेश

2.2.13

अपीलार्थी मुन्नी देवी पति शंभू साह ग्राम–चनद्रपुरा खूर्द, थाना–अलौली, जिला–खगड़िया एवं अन्य, रामशरण सिंह पिता स्व0 वासुदेव सिंह ग्राम–चन्द्रपुरा खूर्द थाना–अलौली, जिला–खगड़िया एवं अन्य को उत्तरवादी बनाते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया के हकसफा वाद सं0–6 / 12 में पारित आदेश के विरूद्व यह वाद निम्नलिखित व्यौरे की भूमि पर लाया है :–

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा वी0 क0 धू0 धूर0
		512 513 514	00–07–10–00

चौहद्दी उ0 – मुन्नी देवी
द0 – शंभू साह
पू0 – विनो सिंह एवं दामोदर सिंह
प0 – भोला सिंह

विवादित भूमि उत्तरवादी प्रथम पक्ष ने उत्तरवादी द्वितीय पक्ष को निबंधित केवाला द्वारा 02.08.2011 को विक्री कर दी है। अपीलार्थी का कहना है कि भू हदबंदी अधिनियम के धारा 126/16(3) के अंतर्गत उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में हकसफा वाद लाया था तथा उत्तरवादीगण को प्रावधान के अनुसार एल0सी0–13 फार्म भी भेजा था। साथ ही विक्रेता द्वारा जमीन विक्री के 90 दिन के अंदर जमीन की खरीदगी राशि के साथ उसकी 10 प्रतिशत राशि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया के नाम से जमा कर दिया गया था। परंतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने उक्त वाद को दिनांक–22.02.2012 को खारिज कर दिया जिसके विरूद्व उन्होंने यह वाद लाया है। अपीलार्थी का कहना है कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने अवैध रूप से उक्त वाद को खारिज कर दिया है। निम्न न्यायालय ने विवादित भूमि को पैतृक सम्पत्ति बताते हुए उत्तरवादी द्वितीय पक्ष को सह हिस्सेदार माना है जबकि वास्तव में प्रश्नगत भूमि उत्तरवादी प्रथम पक्ष का स्वअर्जित भूमि है। अपीलार्थी विवादित भूमि के दक्षिण चौहद्दीदार है। उन्होंने विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है।

उत्तरवादी ने प्रतिउत्तर दाखिल करते हुए इस अपील दावा को कानून के दृष्टिकोण से संधारणीय नहीं बताया है। उनका कहना है कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष एवं उत्तरवादी द्वितीय पक्ष एक ही वंशज के हैं। विक्रेता एवं क्रेता आपस में सह हिस्सेदार है जिसे उन्होंने निम्न न्यायालय में प्रमाणित किया है। उनका यह भी कहना है कि विवादित भूमि वास की भूमि है जिसपर उन्होंने घर बनाकर परिवार के साथ उसमें रह रहें हैं।

उत्तरवारी प्रथम पक्ष ने भी वंशावली के साथ आपत्ति आवेदन दाखिल करते हुए कहा है कि उभय उत्तरवादीगण सह हिस्सेदार है एवं वे एक ही वंशज से है। वे अपने को एक ही पूर्वज मेधू सिंह के वंशज बताते है। और वे आजतक संयुक्त परिवार में रहते है। दिनांक–02.08.2011 को निष्पादित केवाला जो इस वाद का विषय वस्तु है, संयुक्त सम्पत्ति है और उत्तरवादीगण के परिवार के सदस्य द्वारा संधारित किया जाता है साथ ही अन्य हिस्सेदार भी उसमें सन्निहित है। उत्तरवादी रामशरण सिंह ने अपने हिस्से के जमीन को 02.08.2011 को हस्तान्तरित किया है। वंशावली के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि क्रेता गुरूदेव सिंह विक्रेता रामशरण सिह के हिस्सेदार है इसलिए अपीलकर्त्ता का अग्रक्रय का दावा प्रश्नगत भूमि पर नहीं बनता है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पक्षकारों द्वारा दाखिल कागजातों का भी अवलोकन किया। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा हकसफा वाद सं0–6/2011 में पारित आदेश का अवलोकन किया। उन्होंने अपने आदेश में अंकित किया है कि "रामशरण सिंह द्वारा गुरूदेव महतों के पक्ष में जो वर्णित भूमि का केवाला जो निष्पादित किया गया है उसके उत्तर चौहद्दी में आवेदिका का नाम वर्णित है जबकि द्वितीय पक्ष का दावा है कि उनके विक्रेता उनके हिस्सेदार है जिससे उन्होंने जमीन क्रय किया है। उन्होंने अपने कथन के सम्पुष्टि में स्व0 मेघू सिंह के वंशावली को प्रस्तुत किया जो सरपंज ग्राम कचहरी, चॉदपुरा खूर्द द्वारा सत्यापित है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी सं0–2 गुरूदेव सिंह एवं विपक्षी सं0–1 रामशरण सिंह स्व0 मेघू सिंह के वंशज है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष के सदस्य सं0–2 गुरूदेव सिंह ने अपने हिस्सेदार रामशरण सिंह से प्रक्रियागत भूमि को क्रय किया है जो प्रथम द्रष्टया उनका दावा सही प्रतीत होता है। यदि आवेदक को कोई आपत्ति है तो इसके लिए उन्हें सक्षम न्यायालय में स्वत्व वाद लाना चाहिए ।" विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने इसी तथ्य के आलोक में अपीलार्थी द्वारा लाया गया वाद को खारिज कर दिया है।

चूँकि अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र में या सुनवाई में उत्तरवादी द्वारा दाखिल वंशावली पर कोई आपत्ति नहीं की है इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होता है जिसे बहाल रखा जाता है तथा अपीलार्थी का आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

2/2/13
अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

2/2/13
अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।